रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-328/2025/2012/22-2-2024-17(438)/2024

लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 व 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 16 नवम्बर, 2024 (अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस,2024) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामलाल (बन्दी संख्या-1338/2010) पुत्र श्री बसन्त लाल, निवासी-ग्राम-लसमणा, थाना-औराई, जनपद-सन्त रविदास नगर (भदोही), जिसे सत्र परीक्षण संख्या-102/2008, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-1, भदोही-ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 03.03.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-11-2018 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 16.11.2024 तक 16 वर्ष 04 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 00 माह, 21 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा, कारावास की अवधि में बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-328/2025/2012(1)/22-2-2024-17(438)/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, सन्त रविदास नगर (भदोही)।

3- पुलिस अधीक्षक, सन्त रविदास नगर (भदोही)।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

5- नोडल अधिकारी / अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।